अनवानी लाभसिंह बनाम गुरचरणसिंह आदि

प्रकरण का प्रकार रिव्यु प्रार्थना पत्र क्रमांक 10/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ
10.08.2018	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण मे राजीनामा हो चुका है तथा रिसीवरशुदा भूमि प्रार्थीगण को देने का राजीनामा हो चुका है तो उस स्थिति अब रिसीवर रखना अथवा धारा 212(2) आरटीए का आदेश कायम रखने का कोई औचित्य नही रहता, इसलिये यह प्रार्थना पत्र इस मंशा से प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आदेश को पुनः रिव्यू किया जाकर समाप्त किया जावे ताकि प्रार्थीगण को न्याय मिल सके और नकद प्रतिभूति जमा करवाने के आदेश को दुरूस्त किया जाकर समाप्त किया जावें। अतः न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश अपील सं. 99/2007 तारीख 21.02.2011 लाभसिंह बनाम गुरचरणसिंह जिसमे 212 (2) आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र मे दर्ज 6 बीघा भूमि प्रार्थीगण को नकद राशि अदा करने पर कब्जा बनाये रखने का आदेश दिया है, उस आदेश को रिव्यू कर राजीनामा के प्रकाश मे समाप्त किया जाकर भमि बागुजार की जावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र मे अपील के समर्थन मे कथन करते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रार्थना पत्र के तथ्य राजीनामा होने के सही है इसलिये राजीनामा अनुसार उक्त भूमि जो 212 (2) आरटीए के तहत प्रार्थीगण को नकद प्रतिभूति पर दी हुई है, उस आदेश को राजीनामा होने के कारण समाप्त कर दिया जावे तो अप्रार्थीगण को ऐतराज नही है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपील संख्या 99/2007 अनवानी लाभसिंह बनाम गुरचरण सिंह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मे पारित निर्णय दिनांक 02.06.2010 के विरूद्ध पेश की गई थी जिसमे विवादित भूमि के संदर्भ मे 2000/–रू0 प्रति बीघा प्रतिवर्ष कुल 6 बीघा भूमि बाबत प्रतिभूति राशि जमा करवाने पर प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट को काबिज रहकर ताफैसला वाद काश्त करने हेतु आदेश दिनांक 21.02.2011 को पारित किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के कथनानुसार मूल वाद मे राजीनामा के आधार पर निर्णय हो चुका है तथा विवादित भूमि प्रार्थीगण को राजीनामा के अनुसरण मे प्राप्त हो चुकी है। अपील संख्या 99/2007 को रिव्यू कर आदेश दिनांक 21.02.2011 को समाप्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया जबकि अपील संख्या 99/2007 अनवानी लाभसिंह बनाम गुरचरण सिंह मे दिनांक 21.02.2011 को अपीलांट को विवादित भूमि के संदर्भ मे 2000/–रू0 प्रति बीघा प्रतिवर्ष कुल 6 बीघा भूमि बाबत प्रतिभूति राशि जमा करवाने पर प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट को काबिज रहकर ताफैसला वाद काश्त करने हेतु आदेश पारित किया गया था तथा जब मूल वाद मे राजीनामा होकर मूल वाद के तहत विवादित भूमि प्रार्थीगण को प्राप्त हो चुकी है तो प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र बाबत रिव्यू निष्प्रभावी होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। 10/8/18 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)	